

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में दिनांक-01.04.2018 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें :-

- (1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4)केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7)एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11)पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15)चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23)दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्ठे-(63) कूरियर सेवा (64) चूडा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00=7074.00	212.00	7286.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्या- 5/एम०डब्लू०-403/2007 श्र०सं०-1453, 1454 दिनांक-28.03.2018

2. अनुसूचित नियोजन का नाम:- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) के लिए निर्धारित दरें :-

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017 से न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	227.00+5.00+5.00=237.00	7.00	244.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	290.00+6.00+6.00=302.00	9.00	311.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	353.00+7.00+7.00=367.00	11.00	378.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6535.00+131.00+133.00 =6799.00	204.00	7003.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्या- 5/एम०डब्लू०-402/2008 श्र०सं०-1459, 1460 दिनांक-28.03.2018

3. विक्रय प्रोत्साहन नियोजन के लिए निर्धारित दरें :-

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	217.00+4.00+4.00=225.00	7.00	232.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	225.00+5.00+5.00=235.00	7.00	242.00 प्रतिदिन
3	कुशल	278.00+6.00+6.00=290.00	9.00	299.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	339.00+7.00+7.00=353.00	11.00	364.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6277.00+126.00+128.00 =6531.00	196.00	6727.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्या- 5/एम0डब्लू0-405/2007 श्र0सं0-1461, 1462 दिनांक-28.03.2018

4. घरेलू कामगार के नियोजन के लिए निर्धारित दरें :-

क्र० सं०	कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00=735.00	22.00	757.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00=735.00	22.00	757.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00=735.00	22.00	757.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	5645.00+113.00+115.00 =5873.00	176.00	6049.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना (08 घंटा)	5645.00+113.00+115.00 =5873.00	176.00	6049.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्या- 5/एम0डब्लू0-401/2007 श्र0सं0-1463, 1464 दिनांक-28.03.2018

5. खण्ड दरों से संबंधित निम्नांकित नियोजनों के सामान्य कार्य की दरें :-

1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य
2. बीड़ी निर्माण
3. ईंट निर्माण
4. हेयर कटिंग शैलून
5. लादने एवं उतारने के कार्यों
6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य
7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग
8. मिट्टी काटने के कार्यों
9. चाय बगान
10. लाह निर्माण
11. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा)
12. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने ।

उपर्युक्त खण्ड दरों के अनुसूचित नियोजनों के सामान्य कार्य की दरें निम्न प्रकार से है -

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	दिनांक-01.12.2016 +01.04.2017+ 01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2018 से प्रभावी होगी। (रुपये में)	दिनांक- 01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	अकुशल -	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 प्रतिदिन
3	कुशल	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 प्रतिदिन
5	लिपिकीय/पर्यवेक्षीय	6799.00+136.00+139.00 =7074.00	212.00	7286.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्या- 5/एम0डब्लू0-403/2009 श्र0सं0-1455, 1456 दिनांक-28.03.2018

6. कृषि नियोजन के लिए निर्धारित दरें :-

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ।	227.00+5.00+5.00=237.00	7.00	244.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर।	8168.00+163.00+167.00 =8498.00	255.00	8753.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी/चौकीदार/सिपाही/ हलवाहा ।	6355.00+127.00+130.00 =6612.00	198.00	6810.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा ।		

अधिसूचना संख्या- 5/एम0डब्लू0-402/2009 श्र0सं0-1457, 1458 दिनांक-28.03.2018

